GCMS-2025/175

APP-A
Crim-1

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत....उपखण्ड अधिकारी....मुकाम....सांगोद (?)....

....तहसीलदार....बनाम....अजय कुमार....

किस्म मुकदमा....136 LR Act....नं. ....27....सन्....2025....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/5/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक ....9/5/25.... को पेश हो।	
9/5/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम नोटाना के खाता संख्या 236 पर विरासत के नामा0 संख्या 1077 दिनांक 21.03.2025 से अजय कुमार पुत्र रामगोपाल, विजय कुमार पुत्र रामगोपाल व सूरज पुत्र रामगोपाल का नाम दर्ज हुआ। जबकि अजय कुमार पुत्र रामगोपाल हिस्सा 1/4, विजय कुमार पुत्र रामगोपाल हिस्सा 1/4 व सूरज पुत्र रामगोपाल हिस्सा 1/4 प्रविष्टि पूर्व से ही दर्ज है। राजू बाई पत्नी स्व0 रामगोपाल के फौती नामान्तरण से उक्त नाम की दोहरी प्रविष्टि दर्ज हुई जिसे दुरूस्त करवाने हेतु अप्रार्थी द्वारा आवेदन किया है। राजू बाई पत्नी स्व0 रामगोपाल के फौती नामान्तरण से अजय कुमार पुत्र रामगोपाल, विजय कुमार पुत्र रामगोपाल व सूरज पुत्र रामगोपाल का नाम दर्ज हुआ जिसमें केता की दो बार एन्ट्री हो गई है जिससे खाता अपवादित हो गया है। तथा अन्य कार्य सीमित हो गया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त नाम एक ही व्यक्ति के है जिसे दुरूस्त किया जाना है। अतः ग्राम नोटाना के खाता संख्या 236 भूमि पर अजय कुमार पुत्र रामगोपाल, विजय कुमार पुत्र रामगोपाल व सूरज पुत्र रामगोपाल की प्रविष्टि को एक करने की कृपा करे। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि ग्राम ग्राम नोटाना के खाता संख्या 236 पर स्वतः स्वीकृत नामा0 संख्या 1077 दिनांक 21.03.2025 फौती नामान्तरण द्वारा अजय कुमार पुत्र रामगोपाल, विजय कुमार पुत्र रामगोपाल एवं सूरज पुत्र राम गोपाल के नाम की दो बार एन्ट्री हो गई है। उक्त त्रुटी ऑनलाईन म्युटेशन के कारण हुई है। जिसकी शुद्धि किया गया उचित है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम नोटाना के खाता संख्या 236 में अजय पुत्र रामगोपाल हिस्सा 1/12, अजय पुत्र रामगोपाल हिस्सा 1/4 के स्थान पर अजय पुत्र रामगोपाल हिस्सा 1/3, विजय कुमार पुत्र रामगोपाल हिस्सा 1/4, विजय कुमार पुत्र रामगोपाल हिस्सा 1/12 के स्थान पर विजय कुमार पुत्र रामगोपाल हिस्सा 1/3 एवं सूरज पुत्र रामगोपाल हिस्सा 1/12, सूरज पुत्र रामगोपाल हिस्सा 1/4 के स्थान पर सूरज पुत्र रामगोपाल हिस्सा 1/3 दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उक्त निर्णय आज दिनांक 9/4/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी को.. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा	